

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20

Rs. 20

TWENTY RUPEES

INDIA NON JU

राजस्थान RAJASTHAN

S.N. 56/2017



प्रारूप 28
(नियम 46 देखिए)

(79वीं अनुसूची) निर्वाचन क्षेत्र से
(निर्वाचन क्षेत्र का नाम)

राजस्थान विधान सभा (सदन का नाम) के लिए निर्वाचन के लिए रिटर्निंग ऑफिसर को समस्त अप्सर्षी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला सपत्तय भाग -अ

श्री. अनन्तरीजन शर्मा, पुत्र/पुत्री/पत्नी, पूजाराम आयु 37 वर्ष जो ग्राम व पोस्ट हथवारी तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर राज. (राज्य का पूरा पता लिखें) का /की निवासी हैं और अनन्तरीजन शर्मा अप्सर्षी हैं सत्यानिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ /करती हूँ सत्यानिष्ठ से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ, शक पर निम्नांकित कथन करता हूँ /करती हूँ।

- 1) मैं राष्ट्रीय वादी पार्टी अप्सर्षी के रूप में लड़ रहा हूँ।
(सत्य/सत्य नहीं उसे कहें)
- 2) मेरा नाम राजस्थान राज्य के 80 राजाखेडा (धौलपुर) (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में क्रम सं 35 पर भाग संख्या 98 में प्रविष्ट है।
- 3) मेरा/मेरे 9894882340 सम्पर्क पुरमाण संख्या है/हैं और ई-मेल पता (यदि कोई है)।
- 4) लड़ते/लड़ती संख्या (दिनांक) आयुकर -कर विवरणी काहल करने की प्राप्ति।

क्रम सं.	नाम	पिन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाईल की गई है।	आयकर विवरणी में उपरोक्त कुल आय रुपये में।
1	स्वयं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	पति या पत्नी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	आश्रित 1	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	आश्रित 2	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	आश्रित 3	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(5) मैं ऐसे किसी व्यक्ति/व्यक्तियों के नामों या अधिक के कारवाया से दंडनीय किसी अपराध (अन्यायी) का /की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सम्मान अधिकारिता वाले सपत्तय द्वारा आरोप विहित किया गया है/ किए गए हैं।
यदि अप्सर्षी एक किसी अपराध (अपराधों) का /की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा-/करगी- लागू नहीं होता ।

ATTESTED
Notary Public
Distt Dhaur (Raj)

मन बारी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

₹.20


Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

10AA 523624



(i) निम्नलिखित मामले ऐसे लखित मामले जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए आरोप विरहित किए हैं, निम्नलिखित हैं:-

(क)	संबंधित पुलिस थाना / जिला / राज्य के पूर्ण विवरण के साथ मामला / प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या / संख्याएं	लागू नहीं होता
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियम) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) के लिए आरोपित किया गया है	लागू नहीं होता
(ग)	न्यायालय का नाम मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(घ)	न्यायालय जिसने आरोप विरहित किए हैं	लागू नहीं होता
(ङ)	तारीख जिस पर आरोप विरहित किए गए	लागू नहीं होता
(च)	क्या सभी या किसी कार्यवाही पर किसी सहज अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई है	लागू नहीं होता

(ii) निम्नलिखित मामलों में विरुद्ध लखित हैं जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है ऊपर मद् (1) में लिखित मामलों के अलावा :-

(क)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	लागू नहीं होता
(ख)	मामला का ब्यौता जिनमें न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियमों के धाराओं और अपराधों का विवरण जिनमें संज्ञान लिया गया	लागू नहीं होता
(ग)	उपरोक्त आदेशों के विरुद्ध फाइल की गई अपील पुनरीक्षण के लिए अधिनियम (आवदन), यदि कोई है, के ब्यौते	लागू नहीं होता

(3) मुद्रा लोक प्रसिद्धि अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 8 के उपधारा (1) या उपधारा (2) में विहित या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भी किसी अपराध (अपराधों) के लिए सिद्धांत नहीं उदहरया गया है और एक वर्ष या अधिक के कारावास से दंडविध नहीं किया है यदि अनिसाक्षी उपरोक्त रूप में सिद्धांत उदहरया गया या दंडविध किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा।

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धांत और कारावास से दंडविध किया गया है।

(क)	संबंधित मुमली के अधिनियम (अधिनियमों) धारा (धाराओं) का ब्यौता और अपराधों का वर्णन जिनके लिए सिद्धांत किया गया	लागू नहीं होता
(ख)	न्यायालय (न्यायालयों) का नाम, मामला संख्या और आदेश (आदेशों) की तारीख (तारीखें)	लागू नहीं होता
(ग)	अपील का ब्यौता	लागू नहीं होता
(घ)	क्या सिद्धांत आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी / है यदि कोई अपील का ब्यौता क और तर्जाम प्रारंभिक स्थिति	लागू नहीं होता

ATTESTED

Notary Public

Distt Dhoour (Raj.)

बबकारी

क. जेम्स आसिथी के ब्यारे

विषय 1- रकम नाम पर आसिथी, सतुवत खातिल के विधान को की उपदेशित किया जाना है।

विषय 2- निदेश, विधान की दशा में, रकम निदेश की तारीख, रकम बैंक / संस्थान और शाखा के नाम सहित खोज दिया जाना है।

विषय 3- जेम्स आसिथी के अनुसार सुचीबद्ध कंपनियों की राबत स्टॉक एक्सचेंज में और असुचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखा बहियों के अनुसार बकाया / लेखदार का मूल्य।

विषय 4- अशुद्ध का जही अर्थ है जो जैसा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1901 की धारा 75 के स्पष्टीकरण (V) में उल्लेख है।

विषय 5- प्रत्येक विनिधान की राबत सहित रकम ब्यारे पृथक रूप से दिया जाना है।

क्र. सं.	विषय	राबत	पति या पत्नी	आशित-1	आशित-2	आशित-3
(i)	रकम नाम पर	50000.00 रु		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ii)	बैंक खात में निदेश के ब्यारे एच.डी.आर, बचत निदेश और राबत राबत सहित अन्य सभी प्रकार के निदेश प्रिविडण्ड संस्थानों में जमा किए गए कंपनियों और संस्थाओं में निवेश और ऐसे प्रकार निवेश की रकम	एक सीसा बैंक सीलपुर 91601007910444 1000.00 रु		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iii)	संस्थाओं, कंपनियों, संस्थाओं और संस्थाओं के निवेश और अन्य निवेशों के ब्यारे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(iv)	एच.डी.आर, बचत निदेशों के ब्यारे निवेशों के ब्यारे अन्य सभी प्रकार के निवेशों के ब्यारे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(v)	यदि कभी कभी निवेशों के ब्यारे अन्य निवेशों के ब्यारे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vi)	निदेशों के ब्यारे अन्य निवेशों के ब्यारे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(vii)	असुचीबद्ध कंपनियों के ब्यारे अन्य निवेशों के ब्यारे	एक तोला सोना किमत 30000.00 रु		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(viii)	असुचीबद्ध कंपनियों के ब्यारे अन्य निवेशों के ब्यारे	कुछ नहीं		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
(ix)	असुचीबद्ध कंपनियों के ब्यारे अन्य निवेशों के ब्यारे	81,000 रु		कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

मेनकारी
ATTESTED
 21.3.17
 Notary Public
 Distt. Meerut (Raj.)

(11) भाग (क) के (1) से (10) में दिए गए ब्यौरों का सार :

1	अधुनी का नाम	बनवारीबाल शर्मा				
2	ग्राम का पूरा नाम	ग्राम व पोस्ट हथवाड़ी तहसील राजाबंदा जिला भोजपुर राज 80				
3	विशेष क्षेत्र की संख्या और नाम तथा प्रकृति	78 घाँलपुर खण्ड				
4	अधुनी के उत्तर का नाम जिससे अधुनी का अलग किया है (अथवा निर्देशीय बिंदु)	समाज बादी बाटी				
5	(i) लॉकेट संख्या की गुरु संख्या जहाँ आधार प्राप्त हो गई या अधिक के अभाव में संख्या के आदेश विहित हुए हुए हैं।	लागू नहीं होता है।				
	(ii) लॉकेट संख्या की गुरु संख्या जहाँ आधार प्राप्त हो गया है (अथवा निर्देशीय बिंदु) के अभाव में (1) में उल्लिखित मामलों में किताबें।	लागू नहीं होता है।				
6	एक साबुता की संख्या जिसमें दोषसिद्ध हुए हुए क्षेत्र का अधिक के अभाव में उल्लिखित क्षेत्र का नाम है तथा उल्लिखित क्षेत्र में आधार की संख्या (1) और (2) और (3) में उल्लिखित आधार के विवरण।	लागू नहीं होता है।				
7	आ स्वामी याता संख्या (पीएनए)	जहाँ जिसमें अंतिम आम-कर विवरणी काइल की गई है।	तथाई गई कुल आम			
	(क) पत्नी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
	(ख) पति या स्वामी	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
	विभाजित	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं		
8	आधिकार और अधिकारों के बारे में					
	विवरण	स्वयं	पति या स्वामी	आश्रित-1	आश्रित-2	आश्रित-3
9	कुल आश्रितों (कुल मूल्य)	81000 रु	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
10	स्थान की आश्रित					
	(i) स्वामी याता आश्रितों की कुल संख्या	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	(ii) कुल के मूल्य। स्थान आश्रितों के कुल मूल्य को लागू यदि लागू है।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11	(iii) कुल स्वामी आश्रितों (कुल मूल्य) तथा विरासती आश्रितों (कुल मूल्य) के अभाव में उल्लिखित मामलों में किताबें।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	11					
	(i) स्वामी याता आश्रितों (कुल मूल्य)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12	(ii) कुल विरासती आश्रितों और अन्य के कुल मूल्य।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	12					
13	विरासती की विवरणियाँ हैं					
	(i) आश्रितों के देय (कुल)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14	(ii) कुल विरासती आश्रितों और अन्य के कुल मूल्य।	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
	14					
15	अंतिम बंदिब आश्रितों	विरासत				
(ग्राम/नगर/विशेष/विशेषी पाठ्यक्रम के पूरे नाम का उल्लेख करते हुए उम्मत में विद्यालय शिक्षा/विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर् में विद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम दे और वह वर्ष का ब्यौटा दें, जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था)						

समझौता

ATTESTED
 Notary Public
 21.3.17



शर्तें

मेरे द्वारा मरिच अभिसाक्षा का सत्यापित और प्रमाणित करने हैं कि, इस शपथ पत्र अंतर्गत मेरे सर्वज्ञ ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और सही और सत्य मान लिया जाये है और कोई भी वाक्यिक बात छिप या नहीं हुई है। मैं यह घोषित करता हूँ कि -

कि - सत्यापित नमू आ का मर 5 और मर 6 और प्राम आ मे उल्लिखित से मिन किसी मामले में नो जापसिद्ध नहीं हुआ है या कोई मामला मेरे दिरुद्ध लखित नहीं है।

मर 7 - सत्यापित नमू आ की मर 7 और मर 8 तथा प्राम आ के मर 9 और मर 10 में उल्लिखित से मिन मेरी मेर पति / मेरी पत्नी या मेरे जाशिनों की कोई भी जापसिद्ध या लखित नहीं है।

धौलपुर स्थान पर आज तारीख 23.03.2017 को सत्यापित किया गया।

ATTESTED

(Handwritten Signature)

अभिसाक्षी के हस्ताक्षर

Notary Public

Distt. Dhampur (Raj)

(Handwritten Signature)

- टिप्पणी 1 - शपथ पत्र नामस्थान फाइल करने की अंतिम दिन को 300 तक फाइल किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 2 - शपथपत्र में शपथ आशुक्त को समक्ष या प्रथम न्याया मजिस्ट्रेट के समक्ष या जेडपी नखिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।
- टिप्पणी 3 - सभी पत्रों को लखे चाहिए कोई रतम राखी नहीं छोडना चाहिए। यदि किसी रतम में कोई सूचना नहीं दी जानी है तो यह सूचना "जापसिद्ध नहीं होता" उल्लिखित किया जाना चाहिए।
- टिप्पणी 4 - शपथपत्र को अकेले हात चाहिए या सुपवाच्य और स्पष्टता लिखित होना चाहिए।



राजस्थान RAJASTHAN

57/2017

AA 215175



Annexure

Additional Affidavit to be submitted by candidates

Election to **ASSEMBLY RAJSTHAN** (Name of the House),

From **79, DHOLPUR** Constituency.

I **BANVARI LAL SHARMA** (Name of candidates), son/daughter/wife of **POOJARAM** Aged **37** years, resident of **VILLAGE- HATHAVARI POST. HATHAVARI TEH. RAJAKHARA DISTT. DHOLPUR (RAJ)**

A candidates at the above election, do solemnly affirm and state on oath us under :-

(i) I have not been allotted any govt. accommodation at any time during the period of last 10 year prior to the date of notification of the current election..

or

(ii) I have been allotted ~~govt~~ accommodation at **N/A** (mention the address of the accommodation) during the period of last 10 years

ATTESTED

Notary Public
Distt Dholpur (Raj.)

बनवारी

भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु. 20



Rs.20

TWENTY
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

10AA 215176

- (iii) prior to the date of notification of the current election , and there are no arrears of any dues to be paid towards rent for the accommodation or any arrears to the agencies providing electricity, water and telephone at the said accommodation as on N/A (the date should be the last of the 3rd month prior to the month in which the election is announced) .
- (iv) "no dues certificates" from the agencies concerned are attached hereto.

VERIFICATION

I, the deponent above named, do hereby verify and declare that the above Statement are correct to the best of my knowledge, and no part of it is false.

Verified at 21 this the 03 day of 2017

DEPONENT

ATTESTED
Notary Public
Distt Dhoopur (Raj.)

सुनवरी